[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 21st August, 2018

- G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause () of sub-section (6) of section 149, sub-section (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 of and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014,
 - (i) in the proviso to rule 12A, for the words and numbers "DIR-3 KYC on or before 31st August, 2018, the words and numbers "DIR-3 KYC on or before 15th September, 2018" shall be substituted.
 - (ii) in the Annexure, for Form No.DIR-3 KYC, the following Form shall be substituted:-

FORM NO.DIR-3-KYC

9. Income tax PAN

[Pursuant to rule 12A of The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]



KYC of Directors

Form Language	O English	O Hindi
Note-		
 In case of Indian cases even if there PAN. In case the d 	is no change in Income letails as per Income-ta	s Permanent Account Number (Income-tax PAN) is mandatory in all e-tax PAN. In such cases, director details should be as per Income-tax PAN are incorrect, director/designated partner is advised to first er instruction kit for details.
1. (a) *Director Ident	ification Number(DIN)	Pre-fill
(b) Name		
2. * Director's name	(Enter full name and do n	ot use abbreviations)
(a) First name	_	
(b) Last name		
(c) Middle name		·
3. *Father's Name (E	ven married women must	t give father's name)
(a) First name		
(b) Last name		
(c) Middle name	_	
4. ^ Whether a citizer	n of India O Yes	O No
5. * Nationality		
6. * Whether residen	t in India OYes	O No
7. *Date of birth		(DD/MM/YYYY)
8. [*] Gender O N	1ale O Female	O Transgender

Vesify income-tax PAN

Aadhaar number 11.Voter's Identity card number	
11.Voter's Identity card number	
12. *Do You have a valid passport	O Yes O No
#Passport number	
13. Oriving license number	
14. * Personal Mobile Number	Country Code Mobile Number Send OTP
15. * Personal Email ID	
16. *Enter OTP for Mobile Number	Verify OTP
17. *Enter OTP for Email ID	Vesity OTF
	
18.Permanent residential address	
Do you have a permanent address	s outside India O Yes O No
* Line I	
Line II	
* City	
*State	Pin code
ISO country code	Phone Fax
*Country	
	ress is same as permanent residential address O Yes O No
20. Present residential address	
*Line I	
Line II	
* City	<u></u>
	
*State	*Pin code
	*Pin code Phone Fax

Atta	chments:			List of Attachments
1.	* Proof of permanent address	Attach	Г	
2.	Copy of Aadhaar Card	Attach		
3.	Copy of Passport	Attach		
4.	Proof of present address	Attach		
5.	Optional attachments, if any	Attach		
				Remove attachment
	confirm and verify that the particulars given ments being attached to this form.			
(i)	The documents being attached to the I documents have been duly issued by the Form DIR-3 KYC and	Form DIR-3KYC belong he respective governm	to me. I further c ent authority and	onfirm that all required I are being attached to the
(ii)	I further confirm that the Mobile No an	nd email ID belong pers	onally to me and	
(iii)	I have not been declared as proclaimed Court or High Court or any other Court,	offender by any Econo and	omic Offence Cou	ırt or Judicial Magistrate
(iv)	I have no other allotted DIN other than Companies Act, 2013 or a Designated Pa Partnership Act, 2008.	DIN in which changes artner Identification Nu	are intimated und Imber under sect	der section 154 of the ion 7 of the Limited Liability
(v)	I shalf be liable under section 448 of the and any other law as applicable, if any s is found to be have been omitted.	e Act and under relevar statement in this applic	nt provisions of that ation is found to	ne Indian Penal Code, 1860 be false or any material fact

DSC

*To be digitally signed by Applicant

Certification

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of this form. It is hereby certified that:

- * I have satisfied myself about the identity of the applicant and his address based on the perusal of the original of the attached document.
- Note: In case where the applicant is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as prescribed.
- * I have verified and attested the documents of the applicant based on the Originals documents produced before me.
- * All required attachments have been completely attached to this application
- * I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.
- "I further certify that:
 - " Mobile No and email ID belong to the applicant / Director signing the form.
 - All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
 - I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for further reference.
 - o int is understood that I shall be liable for action under section 448 of The Companies Act, 2013 for wrong certifications, if any found at any stage.

*To be digitally signed by	DSC Box			
*Category				
*Whether Associate or Fello	w Associate	O Fellow		
*Membership Number				
*Certificate of Practice Num	ber			
1,1,100	Check Form	Presonably	Simme	

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This e-Form has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional.

F.No. 01/22/2013 CL-V (Pt-III)]

(K.V.R.Munty), Joint Secretary.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 671 (E)	18.09.2014
2.	G.S.R. 42(E)	19.01.2015
3.	G.S.R 839 (E)	05.07.2017
4.	G.S.R.51(E)	22.01.2018
5.	G.S.R.431 (E)	07.05.2018
6.	G.S.R. 558(E)	12.06.2018
7.	G.S.R. 615 (E)	05.07.2018

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.ि. _____(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1), उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 दवारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) पांचवां संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में,
- (i) नियम 12क के परंतुक में, "तारीख 31 अगस्त, 2018 तक या उससे पहले डीआईआर-3-केवाईसी" शब्दों और संख्याओं के लिए "तारीख 15 सितंबर, 2018 या उससे पहले डीआईआर-3-केवाईसी" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी।

(ii) अनुलग्नक में प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी के लिए निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी

[कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 12क के अनुसरण में]



निदेशकों की केवाईसी

प्ररूप की भाषा	o अंग्रेजी	o हिन्दी
टिप्पण -		
- *चिन्हित सभी फील्ड	भरनी अनिवार्य हैं	
है चाहे आयकर पैन में के अनुसार होना चाहिए	कोई परिवर्तन न हुअ । यदि आयकर पैन आयकर पैन के विवर	में आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) आ हो। ऐसे मामलों में निदेशकों का विवरण आयक के अनुसार विवरण सही न हो तो निदेशक/पदन रण सही करने का परामर्श दिया जाता है। कृपया वि
1. (क) ∗िनदेशक पॄ (ख) नाम		(पहले से भरा हुआ)
2. *निदेशक का नाम (प्	रा नाम भरें तथा संधि	त्तेप्तियों का प्रयोग न करें)
(क) प्रथम नाम	Ŧ	
(ग) मध्य नाम	「	
प्रथम नाम	वेवाहित महिलाएं भी '	,
4. 'क्या भारतीय ना	गरिक है O	हां O नहीं

5.	राष्ट्रीयता
6.	'क्या भारत के निवासी है O हां O नहीं
7.	*जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
8.	*लिंग पुरूष O स्त्री O ट्रांसजेंडर O
9.	आयकर स्थायी खाता संख्या[आयकर पैन को सत्यापित करें]
10.	क्या आपके पास आधार है 🕠 हां 🔾 नहीं
	आधार संख्या
11.	मतदाता पहचान पत्र संख्या
12.	क्या आपके पास पासपोर्ट है O हां O नहीं #पासपोर्ट संख्या
13.	ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
14.	'व्यक्तिगत मोबाइल नं [राष्ट्र कोड] [मोबाइल नं.]
15.	*व्यक्तिगत ई-मेल
16.	*मोबाइल नंबर के लिए ओटीपी दर्ज करें
17.	*ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें
18.	स्थायी आवासीय पता
	क्या भारत से बाहर स्थायी पता है O हां O नहीं

	पंक्ति II		
	*नगर		
	*राज्य		
	'आईएसओ कंट्री कोड		फैक्स
	*देश		-
19.	*क्या वर्तमान आवासीय पता और	स्थायी आवासीय पता एक ही है	हां O नहीं O
20.	वर्तमान आवासीय पता		
	*पंक्ति I		
	पंक्ति II		
	*नगर *राज्य		
	आईएसओ कंट्री कोड		
		पूरमाप फक्स	
	देश		
संलग	नक		
			संलग्नकों की सूची
1.	⁺स्थायी पते का प्रमाण	(संलग्न करें)	
2.	आधार कार्ड की प्रति	(सलग्न करें)	
3.	पासपोर्ट की प्रति	(सलग्न करें)	
4.	वर्तमान पते का सबूत	(संलग्न करें)	
5.	वैकल्पिक संलग्नक- यदि कोई हों	(संलग्न करें)	
			(संलग्लक हटाएं)

<u>सत्यापन</u>

में पुष्टि और सत्यापन करता/करती हूं कि इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सही है और इससे संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों के अनुरूप हैं।

- (i) प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे दस्तावेज मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किए गए हैं और उक्त प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे हैं और
- (ii) मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि मेरा मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी व्यक्तिगत हैं।
- (iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार नहीं किया गया है,
- (iv) मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन पहले कोई निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के अधीन कोई पद नामित भागीदार पहचान संख्या आबंटित नहीं की गई है,
- (v) यदि इस आवेदन में दिया गया कोई विवरण मिथ्या पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण सूचना का लोप किया पाया जाता है तो मुझे इस अधिनियम की धारा 448 और भारतीय दंड संहिता 1860 के संबंधित प्रावधानों के अधीन और यथा लागू किसी अन्य कानून के अधीन दंड दिया जा सकता है।

*andaa aan farkee armore bee	
'आवेदक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर हेतु	

प्रमाणन

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजन हेतु सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है। मैं यह प्रमाणित करता हूं कि :-

मै घोषणा करता हूं कि मैंने संलग्न दस्तावेज की मूल प्रति के अवलोकन के आधार पर
 आवेदक की पहचान के बारें में समाधान कर लिया है।

टिप्पणः आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में ब्यौरे यथाविहित सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित दस्तावेजों से किया जाना है।

- 'मैंने प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन और साक्ष्यांकन कर लिया है।
- 🛮 'इस आवेदन के साथ संलग्न सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण हैं।

- 'मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है तथा मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों से उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सिहत) का सत्यापन कर लिया है जो कि इस प्ररूप की विषयवस्तु है और इन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपायी नहीं गई है।
- 🔲 'मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :-
 - मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक/निदेशक
 के हैं।
 - 'सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और पठनीय रूप से संलग्न किये गए हैं।
 - ं मैंने आगामी संदर्भ के लिए अपने अभिलेखों में इस प्ररूप और इसके संलग्नकों की एक प्रतिलिपि रख ली है।
 - 'यह ज्ञात है कि यदि कभी भी कोई प्रमाणन मिथ्या पाया गया तो मेरे विरुद्ध कंपनी
 अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

*अंकीय हस्ताक्षर करने के लिए		
*श्रेणी * एसोसिएट हैं या फेलो O एसो *सदस्यता संख्या *प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र	सिएट O फेलो 	
संशोधित करें फॉर्म चेक करे	पूर्व संवीक्षा	<u>प्रस्तुत</u>
टिप्पणः धारा 448 और 449 की विवरण/प्रमाण-पत्र और मिथ्या साक्ष्य	-	है जिसमें क्रमशः मिथ्या

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु	
ई-फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) (दिन/मास/वर्ष)	ई-फार्म जमा करने की तारीख
प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर	
ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है	_ (दिन/मास/वर्ष)
इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत किया जाता है	_ (जमा करने की पुष्टि करें)
हस्ताक्षर की तारीख	

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक रीति से एवं निदेशक और व्यवसायिक द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है।"

या

[फा. सं. 01/22/2013-सीएल-V(पार्ट-III)]

के.वी.आर मूर्ति) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 671(अ)	18.09.2014
2.	सा.का.िन. 42(अ)	19.01.2015
3.	सा.का.िन. 839(अ)	05.07.2017
4.	सा.का.नि. 51(अ)	22.01.2018
5.	सा.का.नि. 431(अ)	07.05.2018
6.	सा.का.नि. 558(अ)	12.06.2018
7.	सा.का.नि. 615(अ)	05.07.2018